

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

पत्रांक: 7 वि०शा०/मु०यां०-02-11/2019-22/19-204-ए. राँची, दिनांक: 05.08.2019

प्रेषक:

अरुण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो.-हिनू, राँची।

द्वारा: आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषय: सिंचाई यंत्रिक प्रमंडल, राँची अन्तर्गत लतरातु जलाशय योजना के बाएँ मुख्य नहर के विभिन्न चेनेज पर H/R गेटों एवं अन्य यंत्रिक प्रणाली का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य हेतु रु० 44.00 लाख (रुपये चौवालिस लाख) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

1. सिंचाई यंत्रिक प्रमंडल, राँची अन्तर्गत लतरातु जलाशय योजना के बाएँ मुख्य नहर के विभिन्न चेनेज पर H/R गेटों एवं अन्य यंत्रिक प्रणाली का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य हेतु रु० 44.00 लाख (रुपये चौवालिस लाख) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
 2. इसके अधीन निम्न कार्य प्रस्तावित है :-
 - (i) लतरातु जलाशय योजना के बाँये मुख्य नहर के विभिन्न चेन संख्या पर 15 अदद H/R Gate का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य।
 - (ii) उक्त गेटों का embedded parts, bottom seal एवं hoisting arrangement आदि का निर्माण एवं अधिष्ठापन।
- कराये जाने वाले कार्य मदों का अवयववार वित्तीय विवरण निम्नवत् है :-

Sl.	Component	Amount (Rs.)
1.	Cleaning of gate groove including removal of obstacle etc.	55275.60
2.	Fabrication and erection of gate, embedded, hoisting platform, hoisting arrangement etc of H/R gate.	3622844.25
3.	Dismantling of PCC for fixing of embedded and bottom seal.	26559.54
4.	Providing PCC with nominal mix of (1:2:4) for fixing of embedded and bottom seal.	126652.20
5.	Supplying, Fitting and fixing of side and bottom rubber seal.	20325.00
Total :-		Rs. 3851656.59
Add 12 % GST		Rs. 462198.79
Total:-		Rs. 4313855.38
Add 1% Labour cess		Rs. 43138.55
Add 1 % Contingency		Rs. 43138.55
Grand Total :-		Rs. 4400132.48
Say		Rs. 44,00,200.00

3. यह कार्य बजट शीर्ष :-

- मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य लघु शीर्ष-796- जन जातिय क्षेत्रीय उपयोजना -उप शीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।
4. इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता (यांत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची होंगे।
5. राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.08.1998 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।
6. इस कार्य का समावेश वर्ष 2019-20 के सी0ओ0बी0टी0 में समेकित रूप में है।
7. झारखंड कोषागार सहित नियम 300 का अनुपालन दृढता से किया जायेगा।
8. राशि की निकासी डोरण्डा कोषागार से की जायेगी।
9. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
10. इस कार्य को वर्ष 2019-20 में प्रारंभ कर एक वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।
11. प्रावधानित लौह सामग्रियों में से निकलने वाले लौह सामग्रियों का 40% राशि संवेदक के विपत्र से कटौती कर सरकारी राजस्व में जमा करना होगा।
12. स्वीकृत कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
13. इसके कार्यान्वयन के पूर्व पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
14. इस कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कार्य के प्रारम्भ कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने पर करा लिया जायेगा।
15. स्वीकृतिप्राप्त प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
16. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

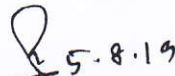


(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

2-8-19

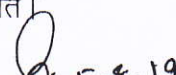
पत्रांक: 7 वि०शा०/मु०यां०-02-11/2019-22/19-20 प्र.ली. राँची, दिनांक: 05.08.2019

प्रतिलिपि: वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

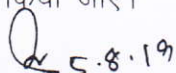
पत्रांक: 7 वि०शा०/मु०यां०-02-11/2019-22/19-20 प्र.ली. राँची, दिनांक: 05.08.2019

प्रतिलिपि: कोषागार, पदाधिकारी, डोरण्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

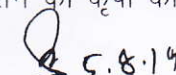
पत्रांक: 7 वि०शा०/मु०यां०-02-11/2019-22/19-20 प्र.ली. राँची, दिनांक: 05.08.2019

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/उप सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मॉनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

पत्रांक: 7 वि०शा०/मु०यां०-02-11/2019-22/19-20 प्र.ली. राँची, दिनांक: 05.08.2019

प्रतिलिपि: आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

पत्रांक: 7 वि०शा०/मु०यां०-02-11/2019-22/19-20 प्र.ली. राँची, दिनांक: 05.08.2019

प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर Upload करने हेतु प्रेषित।/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग प्रमंडल सं०-3, राँची को प्रशासनिक स्वीकृति Online करने हेतु प्रेषित।


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

